श्रीधर सी., भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पराण ,मोतिहारी द्वारा दिनांक-01.02.2014 को कल्याणपुर एवं मेहसी प्रखंड में किए गए भ्रमण की टिप्पणी।

1.0 कल्याणपुर प्रखंड अन्तर्गत माधोपुर गोविन्द के मोर अभयारण्य विकास

कल्याणपुर प्रखंड के माधोपुर गोविन्द, जो मणीछपरा पंचायत के अन्तर्गत अवस्थित है, का भ्रमण किया गया। भ्रमण के अवसर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया भी उपस्थित थे। माधोपुर गोविन्द गाँव में काफी बड़ी संख्या मोर तथा मोरनी उपलब्ध है। इसकी परिवरिश करने हेतु वन विभाग के द्वारा मोर अभयारण्य के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्ताव बनाया गया है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि प्रस्ताव के अन्तर्गत नहर पर वृक्षारोपण का कार्य वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर से विगत वर्ष सम्पन्न कराया गया। इस नहर पर किये गये पौधारोपण की देखरेख 04 वर्षों तक करने का प्रावधान किया गया है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि :-

1.1 वन्य प्राणी विशेषज्ञ (Bird Expert) डा0 अरविन्द मिश्रा से सर्वे कराने के पश्चात् Habitat Study वन विभाग के द्वारा करा दिया गया है तथा विभिन्न कार्यों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्रमांक	विषय	प्राक्कलित राशि
1	जल श्रोतों का विकास	1,35,300.00
2.	जलापूर्ति	2,25,000.00
3.	चिन्हित स्थान पर Fishnet Fencing	7,21,200.00
4.	चिन्हित जमीन पर Grass Land का विकास	2,38,800.00
	कुल-	**13,20,300.00**

1.2 प्रश्नगत चिन्हित जमीन तिरहुत नहर प्रमंडल, चकिया का है। उक्त जमीन पर संरचनाओं के विकास हेतु अनापत्ति देने के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, चकिया से पत्राचार किया गया है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि **तकनिकी पदाधिकारियों की बैठक में मुद्दे को रख कर अनापत्ति प्राप्त उपर्युक्त जमीन पर संरचनाओं के विकास के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।**

वन विभाग के प्रेषित प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराने हेतु सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को अधोहस्ताक्षरी की ओर से पत्र भेजने हेतु प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को निदेश दिया गया।

(अनुपालन-वन प्रमंडल पदाधिकारी/प्रभारी पदा0, जिला सामान्य शाखा)

2.0 मेहसी प्रखंड अन्तर्गत सीप उद्योग का विकास

मेहसी प्रखंड अन्तर्गत मेहसी नगर पंचायत तथा आसपास के 12 गाँवों में सीप उद्योग चल रहा है, जिसका स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया के साथ-साथ श्री

उमेश कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मोतिहारी उपस्थित थे। निरीक्षण के समय पूछताछ के क्रम में निम्नांकित विन्दुएँ प्रकाश में आईं :–

2.1 सीप बटन की तैयारी हेतु कच्चा सामान (Raw Material) स्थानीय नदियों तथा उतर प्रदेश के लखनऊ से प्राप्त किया जा रहा है। पूर्व में समुद्र से भी सीप प्राप्त कर शिल्पकार कार्य करते थे। वर्त्तमान में समुद्र सीप आधारित कार्य नहीं किया जा रहा है। मेहसी में CARD नामक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत है। निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा स्थापित आधुनिक तकनिकी यंत्रों के द्वारा स्थापित केन्द्र का निरीक्षण किया। यह स्फूर्ति (SFURTI) कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है। निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि यह सुविधा केन्द्र (Faciliation Center) में KVIC के द्वारा अपने अंशदान को पूर्व में निर्गत किया गया है। निरीक्षण के क्रम में क्रय किये गये सभी मशीन/उपकरण वर्कशेड में स्थापित किया हुआ पाया गया, परन्तु वह अभी तक कार्यरत नहीं है। इसके संबंध में पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि मशीन/उपकरण के संचालन हेतु तीन फेज विद्युत आपूर्ति हेतु कनेक्शन की आवश्यकता एवं तीन फेज लाईन हेतु ट्रांसफर्मर उपलब्ध बताया गया।

संस्था को निदेश दिया गया कि 3rd Phase विद्युत Connection हेतु आवेदन दें। कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी CARD को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर एक सप्ताह के अन्दर विद्युत आपूर्ति करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही CARD संस्था के सचिव को निदेश दिया गया कि **सोलर आधारित जेनरेटर सेट की सुविधा अनुदानित दर पर उपलब्ध है, जिसे प्राप्त कर संचालन करने हेतु कार्रवाई करेंगे।**

(अनुपालन–कार्य०अभि०, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मोतिहारी/सचिव, स्वयंसेवी संस्था CARD)

2.2 निरीक्षण के क्रम मे पाया गया कि स्थानीय शिल्पीकारों के द्वारा सीप से बटन, हेयर पीन, साड़ी पीन, ब्रासलेट, नेकलेस एवं प्रतीक चिन्हों को तैयार किया जा रहा है। एक शिल्पकार के द्वारा एक दिन में 1,000 सीप का बटन तैयार किया जाता है। सीप–बटन के पैकेट, जो 24 बटन एक पैकेट में होता है, को 20–25 रूपये में बिक्री की जाती है। इसी प्रकार पीन, इत्यादि की भी बिक्री काफी कम दर पर की जाती है। नेकलेस का दाम 20–25 रूपये के बीच बताया गया। वर्त्तमान में Marketing की सुविधा अच्छे ढंग से विकसित नहीं किया गया है। बताया गया कि व्यवसायियो के द्वारा शिल्पकारों से सीधा क्रय कर राशि का भुगतान किया जाता है। **अतः यह स्पष्ट है कि Marketing की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।**

2.3 महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा बताया गया कि क्षेत्रों में शिल्पकार (Artisan Credit Card) 50 की संख्या में उपलब्ध है। वर्त्तमान में कार्डधारी के डिफॉल्टर होने के कारण उन्हें बैंक से ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

2.4 उद्योग विभाग की योजना कलस्टर डेवलेपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत दो कलस्टरों का विकास किया जाना है। **इस निमित Diagnostic सर्वे रिपोर्ट तैयार कर जिला स्तरीय समिति से पारित कराना आवश्यक है।**

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निदेश दिया गया कि :–

(क) **15 फरवरी तक Diagnostic सर्वे रिपोर्ट तैयार कराकर उसे जिला स्तरीय समिति से पारित कराना सुनिश्चित करें।**

(ख) शिल्पकार पहचान–पत्र निर्गत किये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त कर मधुबनी जिला स्थित भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विभाग को जमा किया गया है। पहचान–पत्र निर्गत करने हेतु उस कार्यालय से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया है। वैसे व्यक्तियों, जिनके द्वारा आवेदन–पत्र देना छूट गया है, उनसे पुनः आवेदन–प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(ग) नाबार्ड तथा लीड बैंक से सहयोग प्राप्त कर बाजार के लिंकेज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को दिया गया।

(घ) सीप बटन शिल्पकारों तथा सीप के विकास हेतु अम्बेदकर हस्तशिल्प योजना के अन्तर्गत कुछ कार्यों के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है तथा समग्र रूप से विकास हेतु प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहसी को भी इसमें आवश्यक सहयोग करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द/प्र0वि0पदा0, मेहसी)

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–274/गो0,
समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, दिनांक–5-2-14

प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा/जिला विकास शाखा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन प्रमंडल पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल/तिरहुत नहर प्रमण्डल, चकिया/प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–274/गो0, मोतिहारी, दिनांक–5-2-14

प्रतिलिपि आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, जल ससाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।